वित्तीय समावेशन और बैंक: मुद्दे और परिप्रेक्ष्य*

के.सी.चक्रवर्ती

सुश्री नयना लाल किदवई, उपाध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफआइसीसीआइ) एवं कंट्री हेड एचएसबीसी इंडिया एवं निदेशक, एचएसबीसी एशिया पैसिफिक, सुश्री मीरा सान्याल, चेयरपर्सन, एफआइसीसीआइ की वित्तीय समावेशन समिति एवं देश कार्यपालक, भारत, दि रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड एन.वी., सुश्री कैटलिन वाइसेन, देश निदेशक, यूएनडीपी, श्री मैथ्यू टाइटस, को-चेयर, एफआइसीसीआइ की वित्तीय समावेशन समिति एवं कार्यपालक निदेशक, सा-धन, सुश्री ज्योति विज, सहायक महासचिव, एफआइसीसीआइ, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्य गण, देवियो और सज्जनो। यह वास्तव में मेरे लिए हर्ष का विषय है कि मैं आज वित्तीय समावेशन का संवर्धन करने में बैंकों की भूमिका, उनकी उपलब्धियाँ और उनके द्वारा सामना किये गये प्रमुख मुद्दों और चुनौतियों के संबंध में इस सभा को संबोधित करूँगा।

एफआइसीसीआइ और यूएनडीपी की भूमिका

2. जैसाकि आप सभी जानते हैं, वित्तीय समावेशन एक विराट कार्य है और इसे सभी पणधारियों के सक्रिय सहयोग के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसी संदर्भ में एफआइसीसीआइ जो शीर्ष उद्योग संघ है और इसके दायरे में अनेक पणधारी आते हैं, और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) जो वैश्विक निर्धनता को कम करने के यूएन के प्रयासों की केंद्रस्थली है, द्वारा आयोजित यह सेमीनार महत्वपूर्ण बन जाता है। एफआइसीसीआइ उन नीति संबंधी वाद-विवादों में जो सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक मुद्दों को स्पर्श करते हैं, अग्रणी भूमिका निभाता रहा है और मेरा मानना है कि वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में कारपोरेटों को महती भूमिका निभानी है। यह उनके ही हित में है। जैसाकि मैं जानता हूँ, यूएनडीपी हमेशा से एक समाधान-उन्मुख, ज्ञान-आधारित विकास संगठन रहा है जिसने अनेक देशों की सहायता विकास -लक्ष्यों को प्राप्त करने में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत लक्ष्यों को प्राप्त करने में की है। यूएनडीपी की ताकत यह है कि यह समाज में सभी स्तरों पर लोगों के साथ भागीदारी करता है ताकि राष्ट्र-निर्माण में सहायता मिले और यह सतत विकास के लिए क्षमता-निर्माण में भी सहायता करता है ताकि उद्भावी विकास आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। यह वैश्विक परिप्रेक्ष्य भी प्रस्तुत करता है जिसकी बहुत आवश्यकता है। गरीबी कम करने विषयक क्षेत्र के भीतर, यूएनडीपी ने स्वयं को राज्य सरकारों से भी सहबद्ध किया है ताकि निर्धन-समर्थक तथा समावेशी जीविका-संवर्धन रणनीतियों की डिजाइन बनाने और कार्यान्वयन करने में सुविधा हो जिसमें इसका ध्यान बहिष्कृत वर्गों, यथा,महिलाओं, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अल्पसंख्यकों, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों और प्रवासी परिवारों तथा अनिच्छा से विस्थापित लोगों पर केंद्रित रहा है। एफआइसीसीआइ-यूएनडीपी के लिए यह उपयुक्त समय है 'भारत में वित्तीय समावेशन की प्रगति के संबंध में अध्ययन' से संबंधित आलेख जारी करने का जिसका लक्ष्य वित्तीय समावेशन का सृजन करने में बैंकों द्वारा निभायी गयी भूमिका का विश्लेषण करना और भावी रणनीति तय करना है जिसे उनके द्वारा आगे प्रगति करने के लिए अपनाना आवश्यक है।

3. वित्तीय समावेशन के अंतर्गत महत्वपूर्ण उद्देश्यों पर उपयुक्त विचार-विमर्श आदरणीय डॉ.रंगराजन एवं डॉ.रघुराम राजन की अध्यक्षता में वित्तीय समावेशन के संबंध में गठित समिति और वित्तीय क्षेत्र सुधारों के संबंध में गठित समिति द्वारा किया गया था। इन रिपोर्टों में ऋण एवं वित्तीय सेवा सुपुर्दगी प्रणाली को संशोधित करने की अनिवार्य आवश्यकता को स्पष्ट किया गया है ताकि बृहत्तर समावेशन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। इस रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों का पूर्ण रूप से कार्यान्वयन किये जाने से भविष्य में विशेष रूप से बैंकों की और अन्य संबंधित संस्थाओं की ऋण सुपुर्दगी प्रणाली को संशोधित करने में बहुत सफलता मिलेगी जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सीमांत और अव-सीमांत कृषकों की ऋण संबंधी जरूरतों को हर तरह से पूरा किया जा सकेगा।

राष्ट्र का ध्यान समावेशी वृद्धि पर

4. आज राष्ट्र और विश्व-स्तर पर समावेशी वृद्धि के ऊपर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। वित्त मंत्री की अध्यक्षता में गठित वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) को अधिदेश दिया गया है कि वह वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता के पर ध्यान केंद्रित करें। भारतीय रिज़र्व बैंक सहित सभी वित्तीय क्षेत्र विनियामक इस मिशन के लिए प्रतिबद्ध हैं। यदि हम किसी भी प्रकार की स्थिरता, चाहे

*14 अक्तूबर 2011 को दिल्ली में 'फाइनैंशियल इन्क्लूजनः पार्टनरशिप बिटवीन बैंक्स, एमएफआइ एंड कम्युनिटीज' विषय पर एफआइसीसीआइ-यूएनडीपी द्वार आयोजित सेमीनार में डॉ. के. सी. चक्रवर्ती, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक का भाषण। यह भाषण तैयार करने में श्री विपिन नायर द्वारा दी गयी सहायता के लिए आभार व्यक्त किया जाता है।

वह वित्तीय, आर्थिक, राजनीतिक या सामाजिक हो, तथा स्थिरता सहित समावेशी वृद्धि की हिमायत करते हैं तो यह वित्तीय समावेशन का लक्ष्य प्राप्त किये बिना संभव नहीं है। वित्तीय समावेशन मितव्यियता का संवर्धन करता है और बचत की संस्कृति का विकास करता है, ऋण तक पहुँच में सुधार करता है - उद्यमकर्ता और आपात स्थिति, दोनों के लिए - और दक्ष भुगतान तंत्र को भी समर्थ बनाता है और इस प्रकार वित्तीय संस्थाओं के संसाधन आधार को मजबूत बनाता है, जिससे अर्थव्यवस्था को लाभ होता है क्योंकि दक्ष भुगतान तंत्र और आबंटन के लिए संसाधन उपलब्ध होते हैं। अनुभवमूलक साक्ष्य बताता है कि जिन देशों में आबादी का बड़ा हिस्सा औपचारिक वित्तीय प्रणाली से बहिष्कृत होता है, उनमें भी उच्च निर्धनता अनुपात और उच्च असमानता दिखाई पड़ती है। इस प्रकार वित्तीय समावेशन पहले की तरह आज नीतिगत विकल्प नहीं रह गया है बल्कि नीतिगत बाध्यता बन गया है। और वित्तीय समावेशन /समावेशी वृद्धि के लिए बैंकिंग प्रमुख प्रेरक तत्व होता है।

बैंकों की भूमिका

5. लेकिन यह एक मानी हुई बात है कि समावेशी वृद्धि को प्रेरित करने के लिए आपूर्ति पक्ष और माँग पक्ष कारक होते हैं। बैंकों और अन्य वित्तीय सेवा देने वालों से उम्मीद की जाती है कि वे आपूर्ति पक्ष की उन प्रक्रियाओं को सरल बनायेंगे जो निर्धन और असुविधाग्रस्त लोगों को वित्तीय प्रणाली तक पहुँचने से रोकती हैं। वित्तीय सेवाओं तक पहुँच में अनेक कारक बाधक होते हैं, जिनमें वित्तीय उत्पाद के बारे में जागरूकता का अभाव, महँगे उत्पाद, लेन देन की उच्च लागत और ऐसे उत्पाद शामिल हैं जो सुविधाजनक नहीं हैं, अनम्य हैं, ग्राहक के लिए उपयुक्त रूप से निर्मित नहीं हैं और घटिया किस्म के हैं। तथापि हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आपूर्ति पक्ष कारकों के अतिरिक्त माँग पक्ष कारक यथा, न्यून आय और /या आस्ति-धारण का भी महत्वपूर्ण संबंध समावेशी वृद्धि से होता है। ऋण के औपचारिक स्रोत तक पहुँच पाने में कठिनाई के चलते निर्धन व्यक्ति और लघु एवं व्यष्टि उद्यम सामान्यतः अपनी बचत या आंतरिक स्रोतों पर भरोसा करते हैं या स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और उद्यमकर्ता कार्यकलापों में निवेश करने के लिए अनौपचारिक स्रोतों का सहारा लेते हैं ताकि वृद्धि के अवसरों का उपयोग कर सकें। मुख्य धारा की वित्तीय संस्थाओं, जैसेकि बैंकों को इस प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका सामाजिक दायित्व के रूप में नहीं लेकिन नितांत व्यावसायिक के रूप में निभानी है।

वित्तीय समावेशन - एक वैश्विक नीतिगत प्राथमिकता

6. एक समावेशी वित्तीय प्रणाली के महत्व को नीतिगत हलकों में न केवल भारत में पहचाना जाता है बल्कि यह अनेक देशों में नीतिगत प्राथमिकता बन गयी है। पूरी दुनिया में अनेक देश अब वित्तीय समावेशन को एक अधिक व्यापक वृद्धि के साधन के रूप में देखते हैं जिसमें देश का प्रत्येक नागरिक अपने उपार्जन का उपयोग वित्तीय संसाधन के रूप में करने में समर्थ होता है जिसे वह काम में लगा कर अपनी भावी वित्तीय हैसियत में सुधार ला सकता है और देश की प्रगति में भी योगदान कर सकता है। उन्नत बाजारों में यह अधिकांशत- माँग-पक्ष से संबंधित मुद्दा होता है। वित्तीय समावेशन के लिए पहल वित्तीय विनियामकों, सरकारों और बैंकिंग उद्योग द्वारा की गयी है। वित्तीय समावेशन का संवर्धन करने में बैंकिंग क्षेत्र ने अग्रणी की भूमिका निभायी है। कुछ देशों में इसके लिए विधायी उपाय किये गये हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका में दि कम्युनिटी रिइन्वेस्टमेंट ऐक्ट (1997) में बैंकों से अपेक्षा की गयी है कि वे अपने समस्त परिचालन-क्षेत्र में ऋण प्रदान करें और उन्हें केवल अमीर पड़ोस को लक्ष्य बनाने से मना किया गया है। फ्रांस में लॉ ऑन एक्सक्लूजन किसी व्यक्ति के इस अधिकार पर जोर देता है कि उसके पास बैंक खाता हो। जर्मन बैंकर्स एसोसिएशन ने वर्ष 1996 में एक स्वैच्छिक कोड आरंभ किया, जिसमें 'एवरीमैन' चालू खाता के लिए प्रावधान किया गया जो बुनियादी बैंकिंग लेन देन को सुविधाजनक बनाता है। दक्षिण अफ्रीका में एक न्यून लागत वाला बैंक खाता, जिसे 'म्झाँसी' कहा गया, साउथ अफ्रीकन बैंकिंग एसोसिएशन द्वारा वर्ष 2004 में वित्तीय रूप से बहिष्कृत लोगों के लिए आरंभ किया गया। यूनाइटेड किंगडम में सरकार द्वारा वर्ष 2005 में एक 'फाइनैंशियल इन्क्लूजन टास्क फोर्स' का गठन किया गया ताकि वित्तीय समावेशन के विकास पर निगरानी रखी जा सके। 'प्रिंसिपुल्स ऑफ इन्नोवेटिव फाइनैंशियल इन्क्लूजन' नीतिगत और विनियामक दृष्टिकोणों के मार्गदर्शक कै रूप में कार्य करता है जिसका उद्देश्य नवोन्मेषी, पर्याप्त, न्यून लागत वाले वित्तीय सुपुर्दगी मॉडलों के सुरक्षित और दृढ़ अंगीकरण का पोषण करना, विभिन्न बैंकों, बीमा और बैंकेतर संस्थाओं के लिए उचित प्रतिस्पर्धा और प्रोत्साहन के लिए ढाँचा देने की स्थितियाँ बनाने में मदद करना और सस्ती एवं उत्कृष्ट वित्तीय सेवाओं की पूरी शृंखला मुहैया कराना है।

वित्तीय समावेशन की परिभाषा

7. वित्तीय समावेशन की हमारी परिभाषा क्या है? *वित्तीय समावेशन वह प्रक्रिया है जो सामान्य रूप से समाज के सभी वर्गों के लिए और विशेष रूप से असुरक्षित समूहों यथा, कमजोर वर्ग और न्यून आय वाले लोगों के लिए आवश्यक युक्तियुक्त वित्तीय उत्पाद एवं सेवाओं को सस्ती लागत पर उचित और पारदर्शी ढंग से मुख्य धारा की विनियमित संस्थाओं द्वारा पहुँचाया जाना सुनिश्चित करती है।* इसी संदर्भ में मैं यह बताना चाहता हूँ कि एमएफआइ / एनबीएफसी / एनजीओ अपने आप वित्तीय समावेशन पूरा नहीं

कर सकते हैं क्योंकि वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की जिस शृंखला को हम बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता के योग्य होने को न्यूनतम आवश्यकता मानते हैं वे एमएफआइ द्वारा नहीं प्रदान की जा सकती हैं। लेकिन हाँ, वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में उन्हें महती और अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है और वह इस अर्थ में कि वे लोगों और समुदायों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली के दायरे में लाते हैं।

हमारे लिए इसका अर्थ क्या है ? उद्देश्य

8. हमारा व्यापक उद्देश्य बैंकिंग को समाज के उन सभी वर्गों, ग्रामीण और शहरी, तक ले जाना है जो अब तक बहिष्कृत बने हुए हैं। हमारा ध्यान स्पष्ट कारणों से इस ओर आकृष्ट हुआ कि देश के सभी 6 लाख गाँवों को बैंकिंग सुविधाएँ मुहैया करायी जायें और उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को बुनियादी वित्तीय उत्पादों यथा, बचत, ऋण,प्रेषण और बीमा के माध्यम से पूरा किया जाये। हालाँकि आरंभ में हमारा ध्यान इसमें मार्च 2012 तक उन गाँवों को शामिल करने पर केंद्रित था जिनकी आबादी 2000 से अधिक थी, बैंकों ने अपने निदेशक मंडलों द्वारा अनुमोदित वित्तीय समावेशन योजनाएँ बनायी हैं ताकि अगले 5 वर्षों में सभी गाँवों में बैंकिंग सेवाओं को विस्तारित करने की रूपरेखा तैयार की जा सके।

क्या ऐसा पहली बार हुआ है ?

9. ऐसा नहीं है कि वित्तीय समावेशन का संवर्धन करने के लिए अतीत में प्रयास नहीं किये गये थे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, अग्रणी बैंक योजना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का निगमन, सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण और स्वयं सहायता समूहों का गठन - ये सभी उपक्रमण जनता तक बैंकिंग सेवाएँ ले जाने के लिए किये गये थे। बैंकों की आधारभूत संरचना का विस्तार किया गया; बैंक शाखाओं की संख्या दस गुनी हो गयी - वर्ष 1969 में बैंक शाखाओं की संख्या 8000+ थी जब बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया था और आज यह संख्या 80,000+ हो गयी है। पूरे देश में फैले बैंक शाखाओं के इस व्यापक नेटवर्क के बावजूद बैंकिंग अभी भी आबादी के एक बड़े हिस्से तक नहीं पहुँच पायी है। अनेक ग्रामीण परिवारों को बैंकिंग के दायरे में शामिल नही किया गया हैं। वे बुनियादी बैंकिंग सेवाओं यथा, बचत खाता या न्यूनतम ऋण सुविधा से वंचित हैं। गाँवों में रहने वाले लोगों का अनुपात जिनके पास बैंक खाते नहीं हैं, लगभग 40 प्रतिशत है और यह अनुपात भारत के पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में 3 /5 है। निर्धनों तक युक्तियुक्त सेवाओं का विस्तार किये जाने में वित्तीय सेवा प्रदाताओं द्वारा जिन अवरोधों का उल्लेख किया जाता है, वे हैं, पहुँच का अभाव, लेन देन की उच्च लागत और सेवाएँ प्रदान करने में लगने वाला समय। मौजूदा व्यवसाय मॉडल सुविधा, विश्वसनीयता, नमनीयता, और सातत्य संबंधी परीक्षण में सफल नहीं होता है।

इसलिए, अब क्या बदला है ?

10. यह अंदाजा लगाना सही नहीं है कि बैंक अपनी व्याप्ति बढ़ाने के लिए अनिच्छुक रहे हैं। वे अपनी क्षमता /सामर्थ्य के चलते मजबूर रहे क्योंकि कुछ वर्ष पहले तक युक्तियुक्त बैंकिंग प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं थी। लेकिन अब उपयुक्त बैंकिंग प्रौद्योगिकी के उपलब्ध हो जाने पर वह समय आ गया है जब भारतीय बैंकिंग प्रणाली अपनी व्याप्ति बढ़ा सकती है और सेवाएँ प्रदान कर सकती है। यह सही है कि 1.2 बिलियन लोगों को बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने का कार्य बहुत विशाल है और इसलिए बैंकों ने अब यह महसूस किया है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी एक प्रेरक बल है। वित्तीय समावेशन के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बैंकिंग प्रणाली को दक्ष बनाये जाने में प्रौद्योगिकी की इस शक्ति को काम में लगाना एक बड़ा अवसर और एक बड़ी चुनौती बैंकिंग प्रणाली के लिए है। हमें भी यह समझना चाहिए कि गरीब लोग बैंक को स्वीकार्य होते हैं और उन्हें बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करते हुए व्यवसाय-वृद्धि की काफी संभावनाएँ हैं। इसके लिए हमें युक्तियुक्त व्यवसाय और सुपुर्दगी मॉडल की आवश्यकता है।

क्या वित्तीय समावेशन आज एक व्यवहार्य मॉडल है ?

11. सामान्य बोध के विपरीत, वित्तीय समावेशन संभावित रूप से एक व्यवहार्य व्यवसाय-प्रस्ताव है क्योंकि यह एक विशाल अप्रयुक्त बाजार को बैंकिंग सेवाओं के दायरे में लाना चहता है। वित्तीय समावेशन को प्रथमदृष्ट्या 'पिरामिड के निचले संस्तर पर धन' के रूप में देखा जाना आवश्यक है और इसके लिए व्यवसाय मॉडलों की डिजाइन इस प्रकार बनायी जानी चाहिए कि वह कम से कम प्रारंभिक चरण में आत्म-निर्भर हो और दीर्घावधि में लाभ अर्जन करने वाला हो जाये। यह ध्यान में रखा जाना महत्वपूर्ण है कि दी गयी सेवाओं की लागत वहन-योग्य हो। यह नोट किया जाना भी समीचीन होगा कि आर्थिक सहायता प्रदान करना आवश्यक रूप से बेहतर सुपुर्दगी तंत्र की ओर नहीं ले जाता है।

आरबीआई ने क्या किया है ? सभी प्रकार के विनियामक अवरोधों को हटा दिया है

12. रिज़र्व बैंक का यह प्रयास रहा है कि यह अपनी विनियमित संस्थाओं के वित्तीय समावेशन उद्देश्यों को प्राप्त करने के मार्ग में आने वाली

सभी बाधाओं को दूर करे। जबकि मैं रिज़र्व बैंक द्वारा किये गये एकाधिक समर्थकारी नीतिगत उपायों का उल्लेख कुछ देर बाद करूँगा, पहले मैं भारत के वित्तीय समावेशन मॉडल के कुछ विशेष लक्षणों पर प्रकाश डालना चाहूँगा।

- वित्तीय समावेशन के अंतर्गत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रिज़र्व बैंक ने अपने मुख्य फलक के रूप मे बैंक-नीत मॉडल को अपनाया है।
- संपूर्ण परंपरागत बैंक शाखा मॉडल में शामिल बाध्यताओं के चलते रिज़र्व बैंक ने सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आइसीटी) आधारित बैंक मॉडल को बिजनेस करेसपौंडेंट के माध्यम से अपनाया है, ताकि वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की घर-घर सुपुर्दगी सुनिश्चित हो।
- अपनाया गया दृष्टिकोण प्रौद्योगिकी एवं सुपुर्दगी-मॉडल-तटस्थ रहा है चाहे वह हाथ में रखा उपकरण, मोबाइल फोन, मिनी एटीएम, आदि हो।
- हमने कम से कम चार बुनियादी उत्पाद और सेवाओं की सुपुर्दगी करने का प्रयास किया है यथा, ओवरड्राफ्ट सुविधा के साथ एक बचत खाता, एक प्रेषण उत्पाद, एक नितांत बचत उत्पाद, अधिमानतः परिवर्ती आवर्ती जना, और एक उद्यमकर्ता ऋण यथा, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) या जनरल परपस क्रेडिट कार्ड। स्वाभाविक रूप से प्रारंभिक भाग वाले उपकरणों को इन चारों उत्पादों का लेन देन करने में समर्थ होना चाहिए।

रिज़र्व बैंक ने नीतिगत उपायों की एक शृंखला आरंभ की है, ताकि हमारा विशिष्ट मॉडल सफल हो सके।

अपने ग्राहक को जानिये (केवाइसी) मानदंडों को शिथिल करना: बैंक खाता खोलने के लिए केवाइसी अपेक्षाओं को पूर्व में अगस्त 2005 में छोटे खातों के लिए शिथिल किया गया था जिसमें प्रक्रिया को सरल बनाते हुए यह अनुबद्ध किया गया था कि किसी ऐसे खाताधारक द्वारा परिचय दिया जाना जिसने केवाइसी मानदंडों को पूरा किया हो, ऐसे खातों को खोले जाने के लिए पर्याप्त होगा अथवा बैंक ग्राहक की पहचान और पता के बारे में कोई ऐसा साक्ष्य स्वीकार कर सकता है जिससे बैंक संतुष्ट हो। वर्ष के दौरान इसे और भी शिथिल करते हुए इसमें ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरइजीए) द्वारा जारी किया गया जॉब कार्ड जिस पर राज्य सरकार के किसी अधिकारी का विधिवत हस्ताक्षर हो, या भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया पत्र जिसमें नाम, पता और आधार संख्या हो, शामिल किया गया।

सरलीकृत शाखा प्राधिकरण: बैंक शखाओं के असमान प्रसार के मुद्दे पर ध्यान देन के लिए दिसंबर 2009 से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को अनुमति दी जाती है कि वे टीयर 3 से टीयर 6 केंद्रों तक जहाँ आबादी 50,000 से कम हो, सामान्य अनुमति के अधीन मुक्त रूप से शाखा खोलें, बशर्ते कि इसके बारे में रिपोर्ट की जाये। उत्तर-पूर्वी राज्यों और सिक्किम में देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंक अब ग्रामीण, अर्ध शहरी और शहरी केंद्रों में शाखाएँ खोल सकते हैं जिसके लिए प्रत्येक मामले में रिज़र्व बैंक की अनुमति लेने की आवश्यका नहीं होगी, बशर्ते कि इसके बारे में रिपोर्ट की जाये।

कीमत-निर्धारण को मुक्त कर दिया गया है: बैंकों को अपने अग्रिमों का कीमत-निर्धारण करने की स्वतंत्रता दी गयी है।

बिजनेस करेसपौंडेंट मॉडल का उदारीकरण: जनवरी 2006 में रिज़र्व बैंक ने बैंकों को अनुमति दी कि वे वित्तीय और बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने के लिए मध्यवर्तियों के रूप में व्यवसाय सुसाध्यकों और बिजनेस करेसपौंडेंट (बीसी) को नियोजित कर सकते हैं। बीसी मॉडल बैंकों को यह अनुमति देता है कि वे सेवाओं, विशेष रूप से 'कैश इन कैश आउट' लेन देन, की घर तक सुपुर्दगी ऐसे स्थान पर दे सकते हैं जो ग्रामीण आबादी के काफी करीब हो, और इस प्रकार वे दूरी की समस्या पर ध्यान दे सकते हैं। ऐसे पात्र व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची जिन्हें बीसी के रूप में नियोजित किया जा सकता है समय-समय पर विस्तारित की जा रही है। लाभ के लिए काम करने वाली कंपनियों को भी बीसी के रूप में नियोजित करने की अनुमति दी गयी है। आपको यह जान कर प्रसन्नता होगी कि 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार देशी वाणिज्यिक बैंकों ने 58,361 बीसी को काम पर लगाये जाने की रिपोर्ट की है जो 76,081 गाँवों को वित्तीय सेवाएँ दे रहे हैं।

बैंक सुविधा रहित ग्रामीण केंद्रों में शाखाएँ खोलना: ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएँ खोले जाने की गति बढ़ाये जाने के लिए ताकि बैंकिंग की व्याप्ति और वित्तीय समावेशन में द्रुत गति से सुधार हो, अधिक परंपरागत शाखाएँ खोले जाने के अतिरिक्त बीसी का उपयोग किये जाने की आवश्यकता महसूस की गयी। तदनुसार मौद्रिक नीति वक्तव्य, अप्रैल 2011 में बैंकों को अधिदेश दिया गया कि वे किसी वर्ष खोली जाने वाली शाखाओं की कुल संख्या का कम से कम 25 प्रतिशत बैंक सुविधा रहित ग्रामीण केंद्रों को आवंटित करें।

बैंकों के लिए वित्तीय समावेशन योजना: सतत, योजनाबद्ध और सुनियोजित वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के हमारे प्रयास में जनवरी 2010 में सभी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों को सूचित किया गया कि वे बोर्ड अनुमोदित 3-वर्षीय वित्तीय समावेशन योजना (एफआइपी) बनाएँ और उसे 31 मार्च 2010 तक रिज़र्व बैंक के पास प्रस्तुत करें। इन बैंकों ने अपने-अपने एफआइपी जिनमें मार्च 2011, 2012 ओर 2013 के लिए लक्ष्य अंतर्विष्ट थे, तैयार और प्रस्तुत किये। इन योजनाओं में मोटे तौर पर खोली जाने वाली ग्रामीण परंपरागत

शाखाओं के संबंध में स्व-निर्धारित लक्ष्य; नियोजित किये जाने वाले बीसी; 2000 से अधिक आबादी वाले बैंक सुविधा रहित गाँवों को और 2000 से कम आबादी वाले बैंक सुविधा रहित गाँवों को भी शाखाओं / बीसी /अन्य विधियों के माध्यम से शामिल करना खोले गये सीमित सुविधा खाते जिनमें बीसी-आइसीटी के माध्यम से खोले गये खाते शामिल हैं; केसीसी और जीसीसी; और अन्य विनिर्दिष्ट उत्पाद, जिनकी डिजाइन उन्होंने वित्तीय रूप से बहिष्कृत खंड की जरूरतें पूरी करने के लिए बनायी हैं, शामिल हैं। बैंकों को सूचित किया गया कि वे बोर्ड-अनुमोदित एफआइपी को अपनी व्यवसाय योजनाओं के साथ एकीकृत करें और अपने स्टाफ के कार्यसंपादन मूल्यांकन में एक पैरामीटर के रूप में वित्तीय समावेशन से संबंधित मानदंडों को शामिल करें। इन योजनाओं के कार्यान्वयन पर रिज़र्व बैंक द्वारा निकट निगरानी रखी जा रही है।

अब तक बैंकों द्वारा क्या किया गया है ? एफआइपी से ली गयी स्थिति

12. बैंकों को एक आलोचना अक्सर सुननी पड़ती है कि वे काफी कुछ नहीं कर रहे हैं या काफी निष्कपट नहीं हैं। लेकिन क्या यह वास्तव में सच है ? मैं अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के समेकित एफआइपी से एकाधिक सांख्यिकी उद्धृत कर इन मिथकों का असली रूप दिखाना चाहता हूँ (विस्तृत सांख्यिकी अनुबंध 1 में)।

गाँवों को कवर किया जाना: बैंकों ने जून 2011 तक 1.07 लाख गाँवों में शाखाएँ खोली हैं जबकि मार्च 2010 में यह संख्या केवल 54,258 थी।इनमें से 22,870 गाँवों में परंपरागत शाखाएँ खोल गयीं जबकि 84,274 में बीसी केंद्र और 480 में अन्य विधियों यथा, मोबाइल वैन, आदि के माध्यम से केंद्र खोले गये।

सीमित सुविधा खाते (नो फ्रिल्स खाते) खोलना: बुनियादी बैंकिंग नो फ्रिलस खाते', जिनमें शेष 'शून्य' रहे या जिनमें बहुत कम न्यूनतम शेष की अपेक्षा हो तथा न्यूनतम शेष नहीं रखने के लिए कोई प्रभार नहीं वसूल किया जाये, आबादी के बहुत बड़े हिस्से को ऐसे खातों तक पहुँच प्राप्त कराते हैं और इन्हें रिज़र्व बैंक के निदेशानुसार वर्ष 2005 में आरंभ किया गया। जून 2011 की स्थिति के अनुसार बैंकों द्वारा 7.91 करोड़ 'सीमित सुविधा खाते' खोले गये जिनमें बकाया शेष 5,944.73 करोड़ रुपये है। ये आँकड़े मार्च 2010 में क्रमशः 4.93 करोड़ और 4257.07 करोड़ रुपये थे।

नो फ्रिलस खातों में छोटे ओवरड्राफ्ट: बैंकों को सूचित किया गया है कि वे ऐसे खातों मे छोटे ओवरड्राफ्ट (ओडी) की सुविधा प्रदान करें। जून 2011 तक बैंकों ने 9.34 लाख ओडी दिये जिनकी कुल राशि 37.42 करोड़ रुपये होती है। मार्च 2010 में ये आँकड़े क्रमशः 1.31 लाख और 8.34 करोड़ रुपये थे।

जनरल क्रेडिट कार्ड: बैंकों से कहा गया है कि वे 25,000 रुपये तक एक जनरल परपस क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) सुविधा अपनी ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाओं में आरंभ करने पर विचार करें। यह ऋण सुविधा परिक्रामी ऋण के स्वरूप की होगी जिसमें इसका धारक मंजूर सीमा तक आहरण करने का हकदार होगा। पारिवारिक नकदी प्रवाह के मूल्यांकन के आधार पर ये सीमाएँ किसी प्रतिभूति या प्रयोजन पर जोर दिये बिना मंजूर की जाती हैं। इस सुविधा के लिए ब्याज दर पूर्णतया अविनियमित होती है। जून 2011 की स्थिति के अनुसार बैंकों ने कुल 2,356.25 करोड़ रुपये के ऋण 10.70 लाख जीसीसी खाते में दिये थे।

किसान क्रेडिट कार्ड: बैंकों द्वारा छोटे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये हैं। 30 जून 2011 की स्थिति के अनुसार जारी किये गये केसीसी की कुल संख्या 202.89 लाख थी जिनमें कुल बकाया राशि 1,36,122.32 करोड़ रुपये थी।

अब हमारे पास करने के लिए जो असाधारण कार्य है उस पर विचार करते हुए ये आँकड़े बहुत प्रभावशाली नहीं दिखते हैं लेकिन यदि हम उस प्रगति को देखें जो सवा वर्ष में हुई है और यदि हम अपने प्रयास बढ़ा सकें और बनाये रखें तो मुझे आशा है कि बैंकों द्वारा तय किये गये लक्ष्य और सार्वजनीन वित्तीय समावेशन का हमारा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन यह अपने आप नहीं होने वाला है और इसे निश्चित नहीं समझा जाना चाहिए। ऐसे अनेक मुद्दे और चुनौतियाँ हैं जिन पर हमें विजय प्राप्त करनी होगी।

13. **भावी पथ - वित्तीय समावेशन का भविष्य** वित्तीय समावेशन के अंतर्गत एक प्रमुख चुनौती अंतिम छोर तक संयोजन की समस्या पर ध्यान देने की रही है। इस मुद्दे पर ध्यान देने और निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विशेषज्ञों ने बिजनेस करेसपौंडेंट /सुसाध्यक (बीसी /बीएफ) मॉडल की सिफारिश की है। हालाँकि प्रारंभ में उच्च लेन देन की लागत के चलते बीसी मॉडल बैंकों और ग्राहकों के लिए वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य नहीं भी हो सकता है फिर भी युक्तियुक्त प्रौद्योगिकी का उपयोग करके इसे घटाने में मदद मिल सकती है। आवश्यकता इस बात की है कि सम्मेय, प्लैटफार्म-स्वतंत्र प्रौद्योगिकी समाधानों का विकास और कार्यान्वयन किया जाये जो यदि बड़े पैमाने पर की गयी तो परिचालन की उच्च लागत को नीचे ले आयेगी। इस प्रकार, युक्तियुक्त और कारगर प्रौद्योगिकी त्वरित गति से वित्तीय समावेशन करने की चाबी रखती है।

बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने सुपुर्दगी और व्यवसाय मॉडलों को पूर्ण बनायें। विभिन्न प्रकार के हाथ में रहने वाले उपकरण जिनमें स्मार्ट कार्ड लगा हो, मोबाइल, मिनी एटीएम, आदि पर कोशिश की जा रही है और यह आवश्यक है कि उन्हें अंतिम भाग की सीबीएस

प्रणाली से आगे बढ़ाने के लिए एकीकृत किया जाये। एक उत्तम सुपुर्दगी मॉडल की भी जरूरत है, ऐसा उस समय भी जब कोई गतिरोध हो और ग्राहक की शिकायतों का त्वरित निपटान करना आवश्यक हो। इस प्रकार वह समय नजदीक आ रहा है जब भिन्न-भिन्न मॉडलों के साथ इन प्रयोगों का तार्किक निष्कर्ष निकाला जाये और बैंक अपना कार्यान्वयन आगे बढ़ायें। इसके साथ-साथ बैंकों के पास एकीकृत व्यवसाय मॉडल भी होना चाहिए। इनके पास वित्तीय समावेशन के सफल होने की चाबी होती है।

इसके अतिरक्त, रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे बैंक सुविधा रहित गाँवो में परंपरागत शाखाएँ खोलें। ये शाखाएँ न्यून लागत वाले मध्यवर्ती और सरल संरचना की हो सकती हैं जिनमें छोटे ग्राहक लेन देनों का परिचालन करने के लिए न्यूनतम आधारभूत संरचना होगी और ये 2-3 किलोमीटर की उचित दूरी पर 8-10 बीसी की सहायता करेंगी। इसके चलते नकदी प्रबंधन प्रलेखीकरण और ग्राहक-शिकायत-निवारण में दक्षता आयेगी। ऐसा दृष्टिकोण बीसी परिचालनों के लिए एक कारगर पर्यवेक्षकीय तंत्र के रूप में भी कार्य करेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बैंकों को यह महसूस करना होगा कि बीसी मॉडल की सफलता के लिए बीसी की जो ग्राहकों के लिए संपर्क का पहला स्तर होते हैं, पर्याप्त रूप से क्षतिपूर्ति की जाये ताकि वे भी इसे व्यवसाय स्तर के रूप में देखें।

जैसाकि पूर्व में उल्लेख किया गया है, बैंकों को न्यूनतम चार बुनियादी उत्पाद देने का प्रयास करना चाहिए और इसके अतिरिक्त ऐसे नये उत्पादों की डिजाइन तैयार करनी चाहिए जो निर्धन उधारकर्ताओं की आय-धारा के उपयुक्त और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो। बैंकों को वित्तीय उत्पादों और सेवाओं का पूरा सेट निर्धन ग्राहकों को आकर्षक कीमत पर देने में समर्थ होना चाहिए। हालाँकि छोटा टिकट वाले निजी लेन देनों का प्रबंध करने की लागत ऊँची होती है फिर भी इन्हें कम किया जा सकता है यदि बैंक कारगर ढंग से आइसीटी समाधानों का उन्नयन करें। इसे उत्पाद नवोनमेष के माध्यम से उत्कृष्ट लागत दक्षता के साथ पूरा किया जा सकता है। मोबाइल बैंकिंग में अपार संभावनाएँ हैं और ई-कॉमर्स के लाभ का दोहन किये जाने की आवश्यकता है।

यह महत्वपूर्ण है कि पर्याप्त आधारभूत संरचना यथा, डिजिटल एवं भौतिक संयोजकता, अबाधित विद्युत आपूर्ति, आदि उपलब्ध हो।

सभी पणधारियों को ठोस एवं अर्थपूर्ण सहयोग के माध्यम से साथ मिलकर काम करना होगा ताकि युक्तियुक्त पारिस्थितिकी तंत्र विकसित हो। इसमें सरकार, केंद्र और राज्य, दोनों, विनियामक, वित्तीय संस्थाएँ, उद्योग संघ, प्रौद्योगिकी मुहैया कराने वाले, कारपोरेट, एनजीओ, एसएचजी, नागरिक समाज आदि शामिल होंगे। स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के संगठनों को यह सुनिश्चित करना है कि ये सहभागिताएँ वाणिज्यिक और सामाजिक, दोनों पहलुओं को देखें ताकि वे पैमाना, धारणीयता और वांछित प्रभाव का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद कर सकें। इस सहयोगात्मक मॉडल को बहिष्करण की समस्या का समाधान करना होगा, जिसके लिए यह युक्तियुक्त वित्तीय उत्पादों, सेवाओं की माँग को प्रोत्साहन देगा और युक्तियुक्त सुपुर्दगी तंत्र के साथ परामर्श देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि युक्तियुक्त एवं सस्ती सेवाएँ उन लोगों को मिले जिन्हें इनकी आवश्यकता है।

बैंकों की शाखाओं के आरंभिक और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी स्तर पर मानसिकता, सांस्कृतिक और मनोवृत्तिमूलक परिवर्तन संगठनात्मक समुत्थान शक्ति और नमनीयता प्रदान करने के लिए आवश्यक होते हैं। बैंकों को उन कार्मिकों को मान्यता और पुरस्कार प्रदान करने के लिए एक प्रणाली संस्थित करनी चाहिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में नये उत्पादों और सेवाओं के लिए पहल करती हो, कल्पना करती हो, उनमें नवोन्मेष लाती हो और उन्हें सफलतापूर्वक निष्पादित करती हो।

उपसंहार

इन दिनों हालाँकि हमारे जैसे केंद्रीय बैंकों के लिए यह कठिन है कि एक बार वित्तीय समावेशन के बारे में बात शुरू कर देने पर उसे रोक सकें, फिर भी मैं स्वयं पर नियंत्रण रखूँगा। साराँश रूप में कहा जाये तो वित्तीय समावेशन वह मार्ग है जिस पर भारत को वैश्विक खिलाड़ी बनने के लिए चलना है। समावेशी वृद्धि सशक्तीकरण के स्रोत के रूप में कार्य करेगी और लोगों को आर्थिक एवं सामाजिक प्रक्रिया में अधिक प्रभावोत्पादक रूप से भाग लेने देगी। जिन बैंकों में विश्व स्तर का बैंक बनने की महत्वाकांक्षा हो, उन्हें स्थानीय आकांक्षाओं को पूरा करना चाहिए। वित्तीय पहुँच वैश्विक बाजार के खिलाड़ियों को भी हमारे देश की तरफ आकृष्ट करेगी जिसके परिणामस्वरूप रोजगार एवं व्यवसाय अवसरों में वृद्धि होगी। जैसाकि हम सभी यह मान चुके हैं कि प्रौद्योगिकी एक महान समर्थकारी शक्ति होती है और इसे वित्तीय रूप से बहिष्कृत लोगों को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सोपान के रूप में कार्य करना है। यहाँ एक चेतावनी है कि हमारे लाखों-करोड़ों निर्धन ग्रामवासियों की सेवा करने के लिए हमें जिस चीज की जरूरत है, वह है 'मानवीय स्पर्श सहित प्रौद्योगिकी'। इसलिए बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए कि निर्धन लोगों को इस कारण से बैंकिंग से दूर नहीं भगा दिया जाये कि प्रौद्योगिकी इंटरफेस अनुकूल नहीं है। इसके लिए बैंक के अग्रिम पंक्ति वाले स्टाफ और प्रबंधकों को तथा बिजनेस करेसपौंडेंट को बैंकिंग के मानवीय पक्ष के संबंध में प्रशिक्षण देना होगा। व्यवसाय मॉडल में ही पर्याप्त प्रावधान किये जायें कि वह ग्राहक शिकायत

पर ध्यान दे। इसे संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है '**भविष्य उनके लिए है जो निर्धनों को ग्राहकों के रूप में देखते हैं**' क्योकि निर्धनों के लिए वाणिज्य अमीरों की तुलना में अधिक व्यवहार्य होता है। इस कार्य में सभी पणधारियों का एकजुट और सुनियोजित प्रयास आवश्यक है। इस सेमीनार के प्रतिभागियों को विचार-विमर्श करना चाहिए और प्रत्येक पणधारी की भूमिका को मूर्त रूप देना चाहिए - बैंकों को क्या करना चाहिए, समाज को क्या करना चाहिए, एमएफआइ को क्या करना चाहिए और एफआइसीसीआइ / कारपोरेटों को क्या करना चाहिए। वैश्विक सेमीनार होने के नाते, क्योंकि यूएनडीपी भी इसका सह-आयोजक है, इसका उपयोग एक अवसर के रूप में किया जाना चाहिए ताकि भिन्न-भिन्न देशों के अनुभव को साझा किया जा सके। मैं इस सेमीनार में किये जाने वाले विचार-विमर्श की सफलता की कामना करता हूँ और आशा करता हूँ कि बैंकों, एमएफआइ और समुदायों के बीच एक अर्थपूर्ण रूपरेखा इससे उभर कर सामने आयेगी। रिजर्व बैंक से मैं आपको आश्वस्त करूँगा कि हम किसी मुद्दे पर आपके सुझावों पर खुले मन से विचार करेंगे जिसे आप विनियामक बाधा के रूप में देखते हों।

अनुबंध 1

क्रम सं.	विवरण	मार्च 10 वास्तविक	मार्च 11 वास्तविक	जून 11 वास्तविक	मार्च 12 लक्ष्य	मार्च 13 लक्ष्य
1.	शामिल गाँव - कुल योग (2+3+4 = 5+6)	54,258	1,00,183	1,07,604	2,20,149	3,52,937
2.	शामिल गाँव - कुल शाखाएँ	21,475	22,662	22,870	24,995	26,440
3.	शामिल गाँव - कुल बीसी	32,684	77,138	84,274	1,92,249	3,23,699
4.	शामिल गाँव - कुल अन्य विधियाँ	99	383	460	1,330	2,130
5.	शामिल गाँव >2000	27,353	54,246	59,640	86,806	91,440
6.	शामिल गाँव <2000	26,905	45,937	47,964	1,33,343	2,61,497
7.	बीसी के माध्यम से शामिल शहरी केंद्र	433	3,757	4,524	6,068	8,614
8.	सीमित सुविधा खाते (संख्या लाख में)	493.27	739.36	790.86	1,125.06	582.93
9.	सीमित सुविधा खातों में राशि (राशि करोड़ रुपये में)	4,257.07	5,702.94	5,944.73	7,449.86	871.55
10.	ओडी सहित सीमित सुविधा खाते (संख्या लाख में)	1.31	6.32	9.34	183.61	286.54
11.	ओडी सहित सीमित सुविधा खाते (राशि करोड़ रुपये में)	8.34	21.48	37.42	1,008.04	636.32
12.	केसीसी - कुल संख्या लाख में	176.30	201.91	202.89	276.59	350.36
13.	केसीसी - कुल राशि करोड़ रुपये में	98,749.5	1,32,352.3	1,36,122.3	1,44,685.5	1,72,775.0
14.	जीसीसी - कुल संख्या लाख में	4.73	10.83	10.70	37.34	61.23
15.	जीसीसी -कुल राशि करोड़ रुपये में	753.49	2,328.36	2,356.25	4,266.13	6,715.07
16	आइसीटी आधारित खाते-बीसी के माध्यम से (संख्या लाख में)	125.42	295.41	338.36	641.73	1,014.74
17	ईबीटी खाते -बीसी के माध्यम से (संख्या लाख में)	74.81	146.51	164.60	249.07	368.96

संदर्भ:

1. चक्रवर्ती, के.सी. (2009), 'बैंकिंगः की-ड्राइवर फॉर इनक्लूसिव ग्रोथ', चेन्नै में 10 अगस्त 2009 को मिंट की 'क्लैरिटी थ्रू डिबेट' व्याख्यान माला में भाषण

2. चक्रवर्ती, के.सी. (2009), 'फरदरिंग फाइनैंशियल इन्क्लूजन थ्रू फाइनैंशियल लिटरैसी एंड क्रेडिट काउंसेलिंग', कोच्चि,केरल में फेडरल आश्वास ट्रस्ट के शुभारंभ के अवसर पर दिया गया भाषण

3. चक्रवर्ती, के.सी. (2010), 'फाइनैंशियल डीपेनिंग बाइ पुटिंग फाइनैंशियल कैंपेन इन्टू मिशन मोड', मुम्बई में 17 जून 2010 को 23वें स्कॉक समिट में दिया गया भाषण

4. चक्रवर्ती, के.सी. (2010), 'इनक्लूसिव ग्रोथ - रोल ऑफ फाइनैंशियल सेक्टर'. 27 नवंबर 2010 को नैशनल फाइनैस कॉन्क्लेव 2010, केआइआइटी युनिवर्सिटी, भुवनेश्वर में दिया गया भाषण

5. चक्रवर्ती, के.सी. (2011), 'फाइनैंशियल इन्क्लूजन', 7 सितंबर 2011 को मुम्बई में सेंट जेवियर्स कॉलेज में की गयी प्रस्तुति

6. चक्रवर्ती, के.सी. (2011), 'फाइनैंशियल इन्क्लूजन - ए रोड इंडिया नीड्स टू ट्रैवेल' 22 अक्तूबर 2011 को www.livemint.com में प्रकाशित निबंध

7. रंगराजन, सी. (2008), रिपोर्ट ऑफ दि कमिटी ऑन फाइनैंशियल इन्क्लूजन।